विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-21/2022

श्री इसरार उल्लाह पिता अमीनउल्लाह, – **आवेदक**
खसरा क्रमांक 365/15,
सुपर साईंजिंग कंपाउंड,
बुरहानपुर (म0प्र0) – 450331

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग – **अनावेदक**
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
शनवारा मार्ग, बुरहानपुर (म.प्र.) – 450331

आदेश

(दिनांक 05.01.2023 को पारित)

01. आवेदक श्री इसरार उल्लाह पिता अमीनउल्लाह, खसरा क्रमांक 365/15, सुपर साईंजिंग कंपाउंड, बुरहानपुर (म.प्र.) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 15.10.2022 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यु 0490821 दिनांक 18.11.2021 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 21.10.2022 को कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–21/2022 पर दर्ज की गई है।

प्रकरण में आवेदक ने यह मांग की थी कि उनके विद्युत कनेक्शन जिस पर उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से स्वीकृत भार 15 एच.पी. से बढ़ाकर 20 एच.पी. से अधिक उपयोग करने के कारण टैरिफ अनुसार दी गई 30 प्रतिशत की छूट जो कि 20 एच.पी. तक भार के लिए प्रावधानित है कि अतिरिक्त बिलिंग नहीं की जावें । समान प्रकृति के प्रकरण उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रचलित होने के कारण उस प्रकरण में निर्णय दिया जाना उचित नहीं है, अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय प्राप्त होने पर निर्णयानुसार अनावेदक द्वारा कार्यवाही/बिलिंग करने हेतु प्रकरण क्रमांक एल00–05/2022 में निर्देशित किया गया था ।

02. आवेदक अपनी लिखित अपील में निम्नलिखित निवेदन करता हैं :–

1. अनावेदक ने माह जुलाई 2020 से लगायत माह फरवरी 2022 तक की अवधि में बढ़ी हुई एम.डी. के आधार पर आवेदक की ओर उसके विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72–09–3957002178 के बिल स्वीकृत भार से अधिक भार का जारी किए जाने तथा आवेदक को 1,40,000/– रू. प्राप्त किए जाने से आवेदक ने इस संबंध में आवेदक ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर के समक्ष शिकायत प्रकरण क्र. 4908/2021 के माध्यम से चुनौती देते हुए शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 18.11.2021 को इन्दौर फोरम द्वारा आदेश पारित किया जाकर आवेदक की उक्त शिकायत को निरस्त किया गया था ।
2. आवेदक के द्वारा उक्त राशि की 50 प्रतिशत रूप से भुगतान किया जाकर माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो पंजीबद्ध होकर अपील क्र. 05/2022 कहलाई ।
3. माननीय लोकपाल महोदय ने उपरोक्त अपील का निराकरण किया जाकर दिनांक 16.03.2022 को इस प्रकार आदेश पारित किया गया है :–

   "अतः प्रकरण में निर्देशित किया जाता है कि कार्यपालन यंत्री (शहर संभाग) पश्चिम क्षैत्र, विद्युत वितरण कम्पनी, बुरहानपुर उपरोक्त रिट याचिकाओं में निर्णय प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले निर्णय अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें । अतः प्रकरण निर्णित कर समाप्त किया जाता है ।"
4. अनावेदक आप श्रीमान के उक्त आदेश के बाद उक्त कथित बकाया राशि की सरचार्ज राशि आवेदक से उसके मासिक बिलों में सरचार्ज राशि के नाम से जोड़कर वसूल कर रहा है ।
5. अनावेदक ने माननीय लोकपाल महोदय के आदेश को किसी वरिष्ठ न्यायालय से निरस्त नहीं कराया है, ना ही माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत रिट पिटीशन में माननीय विद्युत लोकपाल महोदय के आदेश को निरस्त कराया है ।
6. अनावेदक ने आवेदक से उक्त आदेश के बाद पिछले छः माहों में प्रतिमाह 1900 की राशि वसूल की है, जो आवेदक को ब्याज सहित वापस दिलाई जावे ।
7. आप श्रीमान ने उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उक्त पिटीशन के निराकृत होने पर उक्त आदेश के मुताबिक कार्यवाही सुनिश्चित करें, तब आप श्रीमान के आदेश के बाद से आवेदक से सरचार्ज के रूप में वसूल की गई राशि आवेदक को लौटाई जावे और अनावेदक को आवश्यक रूप से माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निराकरण तक तथाकथित बकाया राशि को आवेदक के बिल में ना जोड़ने, ना ही सरचार्ज राशि जोड़ने, ऐसा अनावेदक को स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें । तदानुसार प्रार्थना है ।

03. प्रकरण को क्रमांक एल.00–21/2022 पर दर्ज करने के बाद उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 15.12.2022 नियत की गई ।

❖ प्रथम सुनवाई दिनांक 15.12.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी तथा अनावेदक की ओर से श्री प्रेमचंद पटेल, कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग, बुरहानपुर उपस्थित हुए ।

अनावेदक श्री प्रेमचंद पटेल, कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग, बुरहानपुर द्वारा प्रकरण से संबंधित जवाब प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया तथा एक प्रति आवेदक अधिवक्ता को दी । जवाब निम्नानुसार है :–

<u>प्रतिउत्तर–प्रतिअपीलार्थी की ओर से</u>

माननीय विद्युत लोकपाल, भोपाल के समक्ष अपीलार्थी श्री इसरारउल्ला अमीनउल्ला के द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से माननीय विद्युत उपभोक्ता फोरम, इंदौर के समक्ष दर्ज प्रकरण क्रं. 4908/2021, पारित आदेश दिनांक 18/11/2021 के विरूद्ध अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हैं।

माननीय विद्युत लोकपाल, भोपाल के समक्ष दर्ज उक्त अपील अभ्यावेदन का अवलोकन करने के पश्चात दिनांक 16/03/2022 को आदेश पारित किया गया हैं कि, समान प्रकृति के प्रकरणों में विद्युत लोकपाल म.प्र. द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन क्रं. डल्लयू.पी. 6047/22, डल्लयू.पी. 6049/22, डल्लयू.पी. 6050/22, डल्लयू.पी. 6056/22, डल्लयू.पी. 6133/22, डल्लयू.पी. 6134/22 एवं डल्लयू.पी. 6135/22 प्रस्तुत की गई हैं, जो वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु लंबित हैं, अतः उक्त प्रकरण का निर्णय किया जाना उचित नहीं हैं।

अतः प्रकरण में निर्देशित किया जाता हैं कि, कार्यपालन यंत्री (शहर संभाग) पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कं. लि., बुरहानपुर उपरोक्त रिट याचिकाओं में निर्णय प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले निर्णय अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। अतः प्रकरण निर्णित कर समाप्त किया जाता हैं।

उक्त पारित आदेश के पश्चात आवेदक के द्वारा पुनः माननीय विद्युत लोकपाल भोपाल के समक्ष दिनांक 15/10/2022 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हैं।

आवेदक के उक्त अभ्यावेदन संक्षिप्त विषय में लेख किया गया कि, ''आवेदक से मात्र नियमित बिल राशि बिना अधिभार एवं सरचार्ज के जारी किये जाने के अनावेदक को आवश्यक दिशा–निर्देश देने एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के यहां प्रस्तुत रिट पिटीशन के अंतिम निराकरण तक शेष राशि की मांग को स्थागित रखने बाबत् ''।

आवेदक के अभ्यावेदन दिनांक 15/10/2022 के अनुसार कंडिका बार प्रतिउत्तर इस प्रकार हैं :–

1. *यह कि, अपीलार्थी के कंडिका क्रं. 01 कथन अस्वीकार हैं। अपीलार्थी ने माननीय फोरम, इंदौर के समक्ष प्रकरण क्रं. 4908/2021 दर्ज कराया गया था कि, आवेदक के विद्युत संयोग सर्विस क्रमांक72–09– एन3957002178/7667015000 विद्युत बिलों को दुरस्त करने एवं सुरक्षा निधि की राशि समायोजित करने के संबंध में प्रकरण दर्ज कराया गया गया था। माननीय फोरम के द्वारा उक्त प्रकरण क्रं. 4908/2021 में दिनांक 18/11/2021 को आदेश पारित करते हुए आवेदक के परिवाद को अस्वीकार किया गया हैं। आवेदक ने माननीय फोरम के समक्ष दर्ज प्रकरण 4908/2021, पारित आदेश दिनांक 18/11/2021 को चुनौती देते हुए लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई हैं। किन्तु माननीय विद्युत लोकपाल के द्वारा उक्त अपील में माननीय फोरम के पारित आदेश दिनांक 18/11/2021 को निरस्त नहीं किया गया हैं। माननीय विद्युत लोकपाल के समक्ष दर्ज उक्त अपील के पारित आदेश दिनांक 16/03/2022 में आदेशित किया गया हैं, कि समान प्रकृति के रिट याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं, अतः प्रकरण में सुनवाई कर निर्णित किया जाना उचित नहीं हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिकाओं में निर्णय प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। अतः प्रकरण निर्णित होकर समाप्त किया जाता हैं। माननीय विद्युत लोकपाल के निर्णय के अनुसार उक्त प्रकरण में अनावेदक कम्पनी के द्वारा यथास्थिति बनायी रखी गई हैं।*
2. *आवेदक की कंडिका क्रं. 02 स्वीकार हैं। आवेदक ने उक्त विद्युत संयोग सर्विस क्रं. 72–09–एन3957002178 के माह फरवरी 2022 की स्थिति में विद्युत बिल की राशि 2,42,790/– में से किस्त स्वरूप राशि 1,22,000/– का भुगतान किया हैं।*
3. *आवेदक की कंडिका क्रं. 03 के प्रतिउत्तर देने की आवश्यकता हैं, उक्त संबंध में ऊपर की कंडिका क्रं. 01 में लेख किया गया हैं।*
4. *यह कि, आवेदक की कंडिका क्रं. 04 अस्वीकार हैं। अनावेदक कम्पनी के द्वारा आवेदक के उक्त विद्युत संयोग पर मासिक विद्युत बिलों में कथित बकाया राशि को नहीं जोड़ा गया हैं और न ही कथित बकाया राशि पर सरचार्ज राशि जोड़कर वसूल किया जा रहा हैं।*
5. *यह कि, आवेदक के द्वारा उक्त विद्युत संयोग अनुबंधित स्वीकृत भार/संविदा मांग 15 एच. पी. से अधिक संयोजित भार का उपयोग किया जा रहा था। जिससे माह मई 2019 में अधिकतम मांग 19 किवा./26 एचपी. दर्ज की गई। उक्त संबंध में आवेदक को अनावेदक कम्पनी के द्वारा सूचना पत्र क्रं.1188, दिं. 13/12/2019 एवं सूचना पत्र क्रं. 1497, दिनांक 13/02/2020 जारी करते हुए अवगत कराया गया था कि, संविदा मांग नियमानुसार*

बढ़ावे अन्यथा विद्युत अधिनियम 2013 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी, किन्तु आवेदक ने भार वृद्धि कराने के संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं करायी गई।

6. *यह कि, आवेदक को सूचना पत्र जारी करने के पश्चात उक्त विद्युत संयोग पर माह जुलाई 2020 में भार वृद्धि 15 एच.पी. से 19 एच.पी. एवं माह अक्टूबर 2020 में भार वृद्धि 19 एच. पी. से 26 एच.पी. (माह मई 2019 में दर्शित अधिकतम मांग 19 कि.वा. के अनुसार) की गई हैं।*

7. *यह कि, आवेदक के द्वारा माह मई 2022 में उक्त विद्युत संयोग की टेस्ट रिपोर्ट संबंधित झोन कार्यालय में उपलब्ध करायी गई हैं। जिससे माह मई 2022 में उक्त विद्युत संयोग में भार कमी करते हुए 26 एच.पी. से 15 एच.पी. कर दिया गया है।*

8. *आवेदक की कंडिका क्रं. 6 एवं 7 अस्वीकार हैं।*

9. *अनावेदक कम्पनी के द्वारा माननीय विद्युत लोकपाल के उक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 16/03/2022 अनुसार यथास्थिति बनाये रखा गया हैं। आवेदक के बिल में न कोई तथाकथित बकाया राशि एवं सरचार्ज राशि जोड़ी गई है, न हीं आवेदक से सरचार्ज के रूप में कोई भी राशि वसूल की गई हैं।*

अतः माननीय महोदय के समक्ष आवेदक के अपील अभ्यावेदन दिनांक 15/10/2022 का प्रतिउत्तर सादर प्रेषित हैं।

<u>प्रतिअपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अतिरिक्त कथन</u>

माननीय विद्युत लोकपाल, भोपाल के समक्ष उक्त प्रकरण की सुनवाई दिनांक 24/11/2022 को अपीलार्थी अधिवक्ता के द्वारा मौखिक रूप से अतिरिक्त कथन रखे गये। उक्त सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के द्वारा रखे गये तर्क कथन का मौखिक रूप से जबाव दिया गया। उक्त संबंध में स्पष्टीकरण जबाव एवं दस्तावेज इस प्रकार हैं।

अपीलार्थी के द्वारा माननीय विद्युत लोकपाल, भोपाल के समक्ष मौखिक रूप से यह कथन किया गया कि, प्रतिअपीलार्थी की ओर से नियमित बिल में बकाया राशि के साथ सरचार्ज राशि जोड़ कर जारी की जा रही हैं। उक्त राशि को नियमित बिल में से हटाया जाय एवं सरचार्ज के रूप में वसूल की गई राशि को लौटाया जाय।

1. *यह कि, अपीलार्थी के द्वारा माननीय फोरम, इंदौर के समक्ष विद्युत संयोग सर्विस क्रं. 72–09–3957002178, औद्योगिक श्रेणी (अनुबंधित संविदा मांग) के बिलों को दुरस्त कर सुरक्षा निधि की राशि समायोजन किये जाने के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण क्रं. 4908/2021 पंजीबद्ध होकर दिनांक 18/11/2021 को आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश में अपीलार्थी के आवेदन अस्वीकार किया गया हैं।*

*2. यह कि, अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग सर्विस क्रं. 72–09–3957002178 में अनुबंधित स्वीकृत/संविदा भार 15 एच.पी. (औद्योगिक श्रेणी) से अधिक अधिकतम मांग (एम.डी.) 26 एच. पी. दर्ज पाये जाने पर सूचना पत्र प्रेषित करने के पश्चात आवेदक के द्वारा आपेक्षित कार्यवाही न कराये जाने पर माह जुलाई 2020 में विद्युत संयोग की भार वृद्धि 15 से से 19 एच.पी. एवं माह अक्टूबर 2020 में भार वृद्धि 19 एच.पी से 26 एच.पी. (सूचना पत्र में दर्शित अधिकतम मांग 19 किलोवाट के अनुसार) की गई हैं। अवलोकन हेतु सूचना पत्र **डी1** की छायाप्रति संलग्न हैं।*

3. यह कि, अपलार्थी के उक्त विद्युत संयोग में भार वृद्धि के संबंध में प्रतिअपीलार्थी कम्पनी के द्वारा की गई कार्यवाही को माननीय फोरम ने सही माना हैं। अतः उक्त विद्युत संयोग पर जारी किये जा रहे विद्युत देयकों की राशि भुगतान किये जाने योग्य हैं।

*4. यह कि, अपीलार्थी के विद्युत संयोग में भार वृद्धि किये जाने के पश्चात अपीलार्थी ने माह मई 2022 में उक्त विद्युत संयोग में भार कम करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर माह मई 2022 में भार कमी करते हुए 26 एच.पी. से 15 एच. पी. कर दिया गया हैं। अवलोकन हेतु उक्त विद्युत संयोग पर की गई भार वृद्धि एवं कमी के संबंध में विद्युत देयक माह जून 2020 **डी2**, जूलाई 2020 **डी3**, सितम्बर 2020 **डी4,** अक्टूबर 2020 **डी5**, अप्रैल 2022 **डी6** एवं मई **2022 डी7** की छायाप्रति संलग्न हैं।*

*5. यह कि, अपीलार्थी के द्वारा उक्त विद्युत संयोग में जारी किये गये विद्युत देयकों का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया जा रहा हैं। जिससे वर्तमान माह दिसम्बर 2022 की स्थिति विद्युत बिल में कुल बकाया राशि 258805/– दर्शित हो रही हैं, जो कि भुगतान किये जाने योग्य हैं। अवलोकन हेतु उपभोक्ता पास–बुक की छायाप्रति **डी8** एवं माह दिसम्बर 2022 के विद्युत देयक की छायाप्रति **डी9** संलग्न हैं।*

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन हैं कि, उक्त अपील को सव्यय निरस्त कर अपीलार्थी को उक्त विद्युत संयोग में दर्शित बकाया राशि का पूर्ण रूप से भुगतान करने हेतु आदेशित करने का कष्ट करेगें।''

सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा निम्नानुसार मौखिक कथन किए गए –

1. आवेदक ने कहा कि बिल में सप्लीमेंट्री बिल जोड़ा गया है, जिस पर अनावेदक ने कहा कि मेक्जिमम डिमाण्ड बढ़ाने के कारण सप्लीमेंट्री बिल 18616/– रू. का बनाया गया था जिसमें से 50 प्रतिशत राशि मनी रिसीप्ट के माध्यम से भुगतान की है एवं बची हुई राशि बिल में नहीं जोड़ी गई है ।

2. आवेदक की भार वृद्धि 13 से 26 एच.पी. करने के कारण अक्टूबर 2020 से अप्रैल 2022 तक होने के कारण 30 प्रतिशत की टैरिफ सब्सिडी नहीं मिली थी । माह मई 2022 में भार 26 से 15 एच.पी. कर दिया गया था तथा सबसिडी राशि समायोजित कर दी गई है ।
3. बिल में कोई भी अतिरिक्त राशि नहीं जोड़ी गई ।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा जवाब का उत्तर देने हेतु समय की मांग की गई । आवेदक अधिवक्ता की मांग को स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से उक्त प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक 29.12.2022 नियत की गई ।

❖ सुनवाई दिनांक 29.12.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी तथा अनावेदक की ओर से श्री प्रेमचंद पटेल, कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग, बुरहानपुर उपस्थित ।

आवेदक के अधिकृत अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी ने दिनांक 15.12.2022 को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया तथा एक प्रति अनावेदक अधिवक्ता को दी ।

आवेदक के कथन :–

1. आवेदक ने कहा कि बिलों में अतिरिक्त राशि जोड़ी गई है, किन्तु आवेदक पूर्व निर्देशानुसार ऐसा कोई भी बिल प्रस्तुत नहीं कर सका जिसमें अतिरिक्त राशि जोड़ी गई हो।
2. आवेदक ने कहा कि उसके बिल में प्रतिमाह बकाया राशि दर्शाकर सरचार्ज की राशि जोड़ी जा रही है जिसे तुरन्त बन्द किया जावे ।

अनावेदक के कथन :–

1. आवेदक के बिल में कोई भी अतिरिक्त बिल की राशि नहीं जोड़ी गई है ।
2. आवेदक द्वारा मासिक बिल का समय पर पूर्ण भुगतान लम्बे समय से न करने के कारण बकाया राशि बिल में प्रत्येक माह प्रदर्शित हो रही है एवं टैरिफ के प्रावधानानुसार सरचार्ज की राशि बिल की जा रही है जो कि नियमानुसार सही है ।
3. आवेदक द्वारा अनाधिकृत रूप से अधिक भार उपयोग करने के कारण भार वृद्धि की गई थी ।
4. भार कम करने के लिए आवेदक ने आवेदन तो प्रस्तुत किया था किन्तु उनके द्वारा नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज परिसर के भार की टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी । जब टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तब भार कम कर दिया गया ।

उभयपक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है, अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।
हेतु सुरक्षित किया गया ।

04. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण के निर्विवादित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. आवेदक ने विद्युत कनेक्शन 15 एच.पी. भार हेतु औद्योगिक श्रेणी में प्राप्त किया था ।
2. आवेदक ने बिना अनुमति एवं स्वीकृति के अधिक भार उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था ।
3. अनावेदक ने आवेदक को इस संबंध में सूचना–पत्र जारी कर भार बढ़ाकर माह जुलाई 2020 से 15–19 एच.पी. एवं माह अक्टूबर 2020 से 26 एच.पी. कर दिया था एवं उसी अनुसार बिल जारी किए ।
4. आवेदक द्वारा इस उल्लंघन के कारण उसे अतिरिक्त बिल राशि रू0 18,616/– का जारी किया था जिसे मासिक बिल में नहीं जोड़ा गया है।
5. आवेदक ने भार कम करने हेतु आवेदन एवं टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अनावेदक ने माह मई 2022 से भार 26 से घटाकर 15 एच.पी. कर दिया ।
6. आवेदक ने यह लेख किया है कि उसके बिल में अतिरिक्त राशि जोड़ी गई है जिसके कारण प्रत्येक माह सरचार्ज लग रहा है ।
7. अनावेदक ने बिलिंग स्टेटमेंट प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि उसने मासिक बिल में अतिरिक्त बिल की राशि नहीं जोड़ी है ।
8. बिलिंग स्टेटमेंट में किसी भी माह में अतिरिक्त बिल की राशि नहीं जोड़ी जाना पाया गया।
9. आवेदक कोई भी बिल प्रस्तुत नहीं कर सका जिसमें अतिरिक्त बिल की राशि जोड़ी गई हों।

10. बिलिंग स्टेटमेंट से यह स्पष्ट है कि आवेदक मासिक बिल का पूर्ण भुगतान लंबे समय से नहीं कर रहा है जिस कारण बिल की राशि बढ़ रही है एवं टैरिफ अनुसार सरचार्ज भी लग रहा है ।

05. उभयपक्षों द्वारा किए गए कथनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों/साक्ष्यों की स्थापित विधि एवं नियमों/विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं :–

i) आवेदक को औद्योगिक कनेक्शन स्वीकृत भार 15 एच.पी. हेतु प्रदाय किया गया था, जिसका अवैधानिक रूप से भार बढ़ाकर उपयोग कर रहा था ।

ii) अधिकतम मांग स्वीकृत भार से अधिक आने के कारण अनावेदक ने भार बढ़ाकर 19 एच.पी. एवं फिर 26 एच.पी. कर दिया था एवं उसी आधार पर बिल जारी कर रहा था।

iii) आवेदक द्वारा भार कम करने का आवेदन एवं टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अनावेदक ने स्वीकृत भार कम कर 15 एच.पी. कर दिया था ।

iv) अनावेदक ने आवेदक के मासिक बिल में अतिरिक्त बिल की राशि नहीं जोड़ी है ।

v) आवेदक यह सिद्ध नहीं कर सका कि उसके मासिक बिल में अतिरिक्त बिल की राशि जोड़ी है ।

vi) अनाधिकृत भार वृद्धि के कारण बिलिंग एवं अतिरिक्त बिलिंग के संबंध में समान प्रकृति की कई रिट याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत है जिनमें निर्णय आना शेष है ।

vii) आवेदक मासिक बिलों का पूर्ण भुगतान लम्बे समय से नहीं कर रहा है जिस कारण से टैरिफ अनुसार सरचार्ज बिल किया जा रहा है जो नियमानुसार सही पाया गया ।

06. प्रकरण में की गई उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों एवं निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :–

i) औद्योगिक निम्न दाब कनेक्शन में अनाधिकृत भार वृद्धि (20 एच.पी. से अधिक) के कारण टैरिफ में 15 के.डब्ल्यु./20 एच.पी. तक भार वाले उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत की टैरिफ छूट न देने एवं अतिरिक्त पेनल बिलिंग करने से संबंधित कई प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष विचाराधीन है, अतः इस संबंध में निर्णय दिया जाना उचित नहीं हैं । माननीय न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने पर इस प्रकरण में उसका पालन अनावेदक द्वारा किया जावें ।

ii) उक्त को छोड़कर आवेदक की अपील निरस्त की जाती है ।

iii) आवेदक के बिल में कोई भी अतिरिक्त बिल की राशि नहीं जोड़ी गई है, केवल भार के अनुसार बिल प्रतिमाह जारी किए जा रहे हैं ।

iv) आवेदक के बिल में जोड़ा जा रहा सरचार्ज, प्रतिमाह पूर्ण मासिक बिल नहीं जमा करने के कारण टैरिफ अनुसार लगाया जा रहा है, जो कि नियमानुसार सहीं है ।

v) आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह बकाया चालू बिल का शीघ्र भुगतान करें ।

07. उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

08. आदेश की निशुल्क प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और साथ ही आदेश की निशुल्क प्रति फोरम को भी प्रेषित हो ।

विद्युत लोकपाल